कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या: ले०ह०/03/नि.वि.-I/ग्रुप-I/मुख्यालय पत्र-(विविध) /19/2026/खंड-I/ 1402 दिनांक 23.04.2026

कार्यालय आदेश

विषय: केंद्रीय सिविल सेवाएँ (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 15(1)(c) के अंतर्गत निर्वाचित पद धारण करने हेतु पूर्व स्वीकृति के संबंध में |

मुख्यालय के परिपत्र सं. 434/स्टाफ(अनुशान-I)/14-2026 दिनांक 13.02.2026 एवं कार्मिक मंत्रालय के ज्ञाप दिनांक 19.12.2025 के क्रम में प्रभागीय लेखाकार संवर्ग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे CCS (Conduct) Rules, 1964 के नियम 15(1)(c) एवं कार्मिक विभाग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें |

इस संबंध में मुख्य निर्देश निम्नवत हैं:-

1. कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, किसी भी निकाय (body) में, चाहे वह निगमित (incorporated) हो या नहीं, न तो कोई निर्वाचित पद (Elective Office) धारण करेगा और न ही किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार(Canvass) करेगा |
2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.02.2020 के अनुसार किसी सरकारी सेवक को किसी निकाय में निर्वाचित पद धारण करने की अनुमति अधिकतम दो कार्यकाल (Two Terms) अथवा 5 वर्ष (जो भी पहले हो) के लिए ही दी जा सकती है |
3. किसी भी संस्था/निकाय के चुनाव में भाग लेने से पूर्व, सक्षम प्राधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है |

उपर्युक्त के दृष्टिगत, प्रभागीय लेखाकार संवर्ग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें | उक्त प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के मामले में केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (आचरण) नियमावली, 1964 के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार कठोर कारवाई की जाएगी |

23/4/26

वरिष्ठ उप महालेखाकार/निर्माण

संख्या: ले०ह०/03/नि.वि.-I/ग्रुप-I/मुख्यालय पत्र-(विविध) /19/2026/खंड-I/ 40-43 दिनांक: 23-04-2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज |
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी/ITCG, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय आदेश को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें |
3. महासचिव, उत्तर प्रदेश प्रभागीय लेखाधिकारी/लेखाकार संघ, को कार्यालय वेबसाइट के माध्यम से |
4. समस्त प्रभागीय लेखाधिकारी/लेखाकार को कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से |

वरिष्ठ लेखाधिकारी/निर्माण विविध-I